**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में**

**दांडिक अपील क्रमांक 1335/2003**

**अपीलार्थी (जेल में निरुद्ध)** विनोद, पिता बिरजू सौरा, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम टेटला, थाना पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना पुसौर, जिला रायगढ़ ।

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील**

**उपस्थिति :**

अपीलार्थी की ओर से श्री धर्मेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री राकेश कुमार झा, उप-शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**युगल पीठ :**

माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण।

**मौखिक निर्णय**

(23.03.2010)

**न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा के अनुसार,**

**1.** इस अपील में सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 139/2002 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 18.07.2003 को चुनौती दी गई है। उक्त निर्णय द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उसकी पत्नी कजली तथा पुत्र कान्हू की हत्या (जो कि हत्या की श्रेणी में आने वाला सदोष मानव वध है) का सिद्धदोष करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को उसकी पत्नी कजली की हत्या कारित करने के लिए आजीवन कारावास का दंड तथा 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित

किया गया, और अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। इसी प्रकार, अपीलार्थी को उसके पुत्र कान्हू की हत्या के लिए भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास का दंड तथा 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, और अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। दोनों सजाओं को साथ५२१-साथ चलने का निर्देश दिया गया।

**2.** दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य का कोई अंश उपलब्ध नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित कर दिया, जिससे उसने अवैधता की है।

**3.** अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि वर्तमान अपीलार्थी का मृतका कजली के साथ प्रेम-प्रसंग था और अंततः दोनों का विवाह हो गया। उनके प्रेम संबंध के परिणामस्वरूप पुत्र कान्हू का जन्म हुआ। अपीलार्थी को अपनी पत्नी कजली के चरित्र पर संदेह रहता था। मंगलवार, दिनांक 18.12.2001 को अपीलार्थी अपनी सास रुखनिबाई (अ.सा.-1) के घर आया, जहाँ उसकी पत्नी कजली और पुत्र कान्हू रह रहे थे। वह अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर ग्राम कोनपाली से अपने ग्राम टेटला के लिए रवाना हुआ। रास्ते में, अपीलार्थी अपनी पत्नी कजली और पुत्र कान्हू के साथ ग्राम चपोरा में कजली की मौसी सहोद्रा के घर रुका। वहाँ उन्होंने भोजन किया और लगभग अपराह्न 3.00 बजे ग्राम टेटला के लिए प्रस्थान किया। कजली ने सहोद्रा से दो झाड़ू मांगे और उन्हें अपने साथ ले गई। दूसरे दिन, अर्थात् दिनांक 19.12.2001 को वे पंचुसर (अ.सा.-4) के घर गए। दिनांक 20.12.2001 को कजली और कान्हू के शव बहलाडीपा नाला के पास गाँव में पाए गए, जहाँ टेटला (टारदा) गाँव के ग्रामीणों ने शव देखे और पुलिस थाना गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/16 के माध्यम से दर्ज की गई। पंचुसर (अ.सा.-4) ने मर्ग सूचना प्रदर्श पी/6 एवं पी/7 के माध्यम से दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचा और साक्षियों को बुलाकर कजली एवं कान्हू के शवों की पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी/10 एवं पी/11 के तहत की गई। पहचान कार्यवाही के दौरान शवों की पहचान कजली एवं का५२१न्हू के रूप में की गई। शवों को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुसौर भेजा गया, इसके लिए प्रदर्श पी/14-क एवं पी/15-क जारी किए गए, जहाँ डॉ. आर.एन. मंडावी (अ.सा.-9) ने कजली के शव का शव परीक्षण प्रदर्श पी/14 के माध्यम से किया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. मुख एवं चेहरा नीला पड़ गया था (सायनोसिस पाया गया)।

ii. गर्दन पर बंधन का निशान पाया गया।

iii. गर्दन पर खरोंच पाई गई।

iv. बाईं ओर की दूसरी तथा चौथी पसलियाँ टूटी हुई पाई गईं।

मृत्यु का कारण श्वासावरोध था तथा मृत्यु की प्रकृति मानववध पाई गई।

पुत्र कान्हू के शव का परीक्षण भी डॉ. आर.एन. मंडावी (अ.सा.-9) द्वारा प्रदर्श पी./15 के माध्यम से किया गया, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

i. गर्दन दबाने के तीन निशान पाए गए, जिनका आकार क्रमशः 1.5 × ½ इंच, 1.25 × 0.75 इंच तथा 2 × 0.5 इंच था।

ii. दाहिने हाथ तथा दाहिनी जांघ पर बंधन के निशान पाए गए, जिनका आकार क्रमशः 3 इंच × 1/2 सेमी तथा 4 इंच × ½ सेमी था।

iii. 12वीं पसली टूटी हुई पाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चिकित्सक की राय में मृत्यु गर्दन दबाए जाने के कारण हुई तथा मृत्यु की प्रकृति मानववध थी।

घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी./9 के अंतर्गत तैयार किया गया। घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े, सादी मिट्टी तथा झाड़ू (झाड़ू) के दो टुकड़े जब्त किए गए, जिसकी जब्ती पत्रक प्रदर्श पी./12 के अंतर्गत की गई। कजली के सीलबंद वस्त्र प्रदर्श पी./13 के अंतर्गत जब्त किए गए। पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी./14 के अंतर्गत तैयार किया गया। कजली की गर्दन पर पाया गया रस्सी का फंदा परीक्षण हेतु प्रदर्श पी./17 के अंतर्गत भेजा गया तथा चिकित्सक ने यह राय दी कि कजली की गर्दन पर पाई गई चोटें उक्त रस्सी से हो सकती हैं। सीलबंद जब्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी./19 के अंतर्गत भेजा गया। कजली की गर्दन पर पाई गई रस्सी पर रक्त की उपस्थिति पाई गई। साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए।

**4.** विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु अभिसारित किया, जहाँ वाद का विचारण किया गया।

**5.** अभियुक्त/अपीलार्थी के दोष को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 12 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसके विरुद्ध प्रकट परिस्थितियों को उसने नकार दिया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए वर्तमान अपराध में झूठा फँसाए जाने का दावा किया। अभियुक्त की ओर से प्रेमानंद (ब.सा.-1) का परीक्षण किया गया, जिसने यह कथन दिया कि वह जम्मू-कश्मीर में एक ईंट भट्ठे में कार्य करता था और घटना के समय वह अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ जम्मू-कश्मीर में ही था। उसके अनुसार, वे दोनों लगभग तीन माह बाद जब जम्मू-कश्मीर से वापस आए, तब अभियुक्त/अपीलार्थी को रेलवे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

**6.** पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**7.** हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना, आक्षेपित निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

**8.** अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढतापूर्वक तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर, विशेष रूप से तथाकथित "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर दोषसिद्धि के मामलों में अभियोजन पर यह दायित्व होता है कि वह परिस्थितियों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला सिद्ध करे, जिससे यह निष्कर्ष निकले कि अपराध अपीलार्थी ने ही किया है और उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किए जाने की संभावना न रहे। "अंतिम बार साथ देखे जाने" का सिद्धांत स्वयं में दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है और अभियोजन को यह भी सिद्ध करना आवश्यक होता है कि अंतिम बार साथ देखे जाने और मृतक के शव की बरामदगी के बीच कोई समयांतराल न हो। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियोजन को अभियुक्त के अपराध करने के आशय एवं उद्देश्य को भी सिद्ध करना आवश्यक होता है। वर्तमान मामले में अभियोजन "अंतिम बार साथ देखे जाने" से संबंधित परिस्थितियों की

श्रृंखला सिद्ध करने में विफल रहा है। कथित अंतिम बार साथ देखे जाने और शवों की बरामदगी के बीच लंबा समयांतराल है तथा अभियोजन अपराध करने का कोई उद्देश्य भी सिद्ध नहीं कर सका है।

**9.** इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी को अपनी पत्नी कजली के चरित्र पर विशेष रूप से विवाह के 9 माह के भीतर पुत्र कान्हू के जन्म को लेकर संदेह था। इसी संदेह के कारण उसने अपनी पत्नी एवं पुत्र की हत्या कारित की। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त हैं कि घटना की तिथि को अपीलार्थी, कजली एवं कान्हू (अब मृतक) के साथ सहोद्रा (अ.सा.-3) के घर उपस्थित था। कजली ने सहोद्रा से दो झाड़ू लिए थे और अगले दिन कजली एवं कान्हू के शव पाए गए। अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, विशेष रूप से उस स्थिति में जब उसने मृतकों का साथ छोड़ दिया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना पर्याप्त है कि अपराध कारित केवल अपीलार्थी ने ही किया है और उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किए जाने की संभावना नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**10.** वर्तमान प्रकरण में, मृतका कजली एवं कान्हू की मृत्यु पूर्वकालीन घातक चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा गंभीर रूप से विवादित नहीं किया गया है। इसके विपरीत, यह तथ्य डॉ. आर.एन. मंडावी (अ.सा.-9) के साक्ष्य तथा शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी./14 एवं पी./15 से स्थापित होता है, जिनसे यह प्रकट होता है कि मृतका कजली एवं कान्हू की गर्दन पर मृत्यु-पूर्व घातक चोटें पाई गईं और उनकी मृत्यु की प्रकृति मानववध थी।

**11.** जहाँ तक वर्तमान अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का प्रश्न है, दोषसिद्धि मुख्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य, विशेष रूप से "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत पर आधारित है। रुखनिबाई (अ.सा.-1), जो कजली की माता है, ने अपने कथन में कहा कि अपीलार्थी का विवाह उसकी पुत्री कजली से हुआ था और कजली से पुत्र कान्हू का जन्म हुआ। मंगलवार को अपीलार्थी अपनी पत्नी कजली तथा पुत्र कान्हू को उसके घर से ग्राम टेटला ले गया, इसके बाद कजली एवं कान्हू जीवित नहीं मिले और उसे यह जानकारी मिली कि अपीलार्थी ने ग्राम टारदा के पास अपनी पत्नी कजली एवं पुत्र कान्हू की हत्या कर दी है। कजली के भाई भगवान (अ.सा.-2) के कथन ने भी रुखनिबाई (अ.सा.-1) के साक्ष्य की पर्याप्त पुष्टि की। उसने विशेष रूप

से अपने कथन में कहा कि अंतिम बार कजली मंगलवार को प्रातः लगभग 8 बजे अपीलार्थी के साथ गई थी और अगले दिन अर्थात् बुधवार को उसे यह जानकारी मिली कि अपीलार्थी ने ग्राम टारदा के पास कजली एवं कान्हू की हत्या कर दी है। इसके पश्चात् वह घटनास्थल पर गया, जहाँ कजली एवं कान्हू के शव पड़े हुए थे। सहोद्रा (अ.सा.-3), एक अन्य साक्षी, ने भी कथन दिया कि लगभग दोपहर 1.00 बजे अपीलार्थी, कजली तथा पुत्र कान्हू उसके घर आए थे और उन्होंने लगभग 3.00 बजे भोजन किया। इसके पश्चात् अपीलार्थी अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ ग्राम टेटला के लिए चला गया। उसी दिन कजली ने उससे दो झाड़ू मांगे, जो उसने प्रदान किए। इसके बाद कजली की मृत्यु हो गई और अपीलार्थी फरार हो गया। उसे यह सुनने में आया कि अपीलार्थी ने कजली एवं कान्हू की हत्या कर दी और फरार हो गया। पंचुसर (अ.सा.-4), जिसने मर्ग सूचना प्रदर्श पी./6 एवं पी./7 दर्ज कराई, ने कथन दिया कि उन्होंने बहलाडीपा नाला के पास दो शव देखे, तत्पश्चात् उसने उपर्युक्त मर्ग सूचना दर्ज कराई। मर्ग सूचना प्रदर्श पी./6 एवं पी./7 दिनांक 22.12.2001 को लगभग शाम 6.45 बजे दर्ज पाई गई। मर्ग के आधार पर दोनों शवों की मृत्यु समीक्षा कार्यवाही प्रदर्श पी./10 एवं पी./11 के अंतर्गत की गई। मृत्यु समीक्षा के दौरान शवों की पहचान कजली एवं कान्हू के रूप में की गई। वर्तमान मामले में दोषसिद्धि मुख्यतः "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**12.** पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की विवेचना करने हेतु, हमने दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

**13.** दोषसिद्धि मुख्यतः "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में अभियोजन को यह तथ्य सिद्ध करना आवश्यक होता है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था तथा इसके पश्चात् अल्प समयांतराल के भीतर मृतक मृत अवस्था में पाया गया। वर्तमान प्रकरण में रुखनिबाई (अ.सा.-1), जो मृतका की माता है तथा भगवाना (अ.सा.-2), जो मृतका कजली का भाई है, के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि घटना की तिथि से कुछ दिन पूर्व अपीलार्थी अपनी पत्नी कजली एवं पुत्र कान्हू को अपने साथ लेकर अपने ग्राम टेटला के लिए गया था। सहोद्रा (अ.सा.-3) ने अपने कथन में कहा कि उसकी बहन की पुत्री मृतका कजली, उसका पुत्र तथा अपीलार्थी दोपहर लगभग 1.00 बजे उसके घर आए थे। वे वहाँ रुके और भोजन किया। मृतका कजली ने उससे दो झाड़ू मांगे, जो उसने प्रदान किए। इसके पश्चात् अपीलार्थी, कजली एवं पुत्र कान्हू के साथ

अपने ग्राम टेटला (अपीलार्थी का निवास स्थान) के लिए चला गया, लेकिन बाद में दोनों के शव ग्राम टारदा के पास पाए गए।

**14.** "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत के साक्ष्य मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***हत्ती सिंह बनाम हरियाणा राज्य,*** **(2007) 12 SCC 471** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि मात्र अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य अपने आप में अधिक महत्व का नहीं होता। यह परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान कर सकता है, किंतु जब तक मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखे जाने और हत्या के बीच का समयांतराल अत्यंत निकट न हो, तब तक केवल उसी आधार पर अभियुक्त का दोष सिद्ध करना कठिन होता है।

**15.** इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरण एवं अन्य तथा एक अन्य संबद्ध अपील,*** **(2007) 3 SCC 755** में यह कहा कि "अंतिम बार साथ देखे जाने" की स्थिति में यह प्रमाण तभी सुसंगत होगा जब अभियोजन यह स्थापित करे कि मध्यवर्ती अवधि में घटना स्थल पर या अपराध के घटित होने से पूर्व मृतक से किसी अन्य व्यक्ति के मिलने या उसके पास आने की कोई संभावना नहीं थी। उक्त निर्णय के कंडिका 34 में इस प्रकार कहा गया है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**"34.** इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, *अंतिम बार साथ देखे जाने* की परिस्थिति को सामान्यतः अभियुक्त को आक्षेपित अपराध का दोषी ठहराने के लिए तभी विचार में लिया जा सकता है, जब अभियोजन यह स्थापित कर दे कि जिस समय अभियुक्त और मृतक को जीवित अवस्था में साथ देखा गया था और जिस समय मृतक मृत अवस्था में पाया गया, उनके बीच का समयांतराल इतना कम हो कि किसी अन्य व्यक्ति के मृतक के साथ होने की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके। अभियुक्तों को मृतक के साथ देखे जाने और अपराध के पता चलने के बीच का समयांतराल, साक्ष्य के मूल्यांकन तथा अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थिति के रूप में उस पर भरोसा किए जाने के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय तत्व होगा। किंतु प्रत्येक मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इस कारण से *अंतिम बार साथ देखे जाने* के साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाए कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने तथा अपराध के प्रकाश में आने के बीच काफी लंबा समय व्यतीत हो गया है। इस संबंध में समयांतराल की कोई निश्चित या अनम्य सूत्र नहीं हो सकती। यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत

साक्ष्य पर निर्भर करेगा, जिससे यह संभावना समाप्त हो सके कि मध्यवर्ती अवधि में किसी अन्य व्यक्ति ने मृतक से मुलाकात की हो। अर्थात्, यदि अभियोजन ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किए जाने की संभावना असंभव हो जाए, तो भले ही समयांतराल लंबा हो, *अंतिम बार साथ देखे जाने* की परिस्थिति को परिस्थितियों की श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने हेतु विचार में लिया जा सकता है। अतः, यदि अभियोजन यह सिद्ध कर दे कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, मध्यवर्ती अवधि में घटना स्थल पर या अपराध के घटित होने से पूर्व मृतक से किसी अन्य व्यक्ति के मिलने या उसके पास पहुँचने की कोई संभावना नहीं थी, तो *अंतिम बार साथ देखे जाने* का प्रमाण सुसंगत साक्ष्य होगा। उदाहरणार्थ, यदि यह प्रदर्शित किया जा सके कि जिस स्थान पर घटना घटित हुई या जहाँ अभियुक्तों को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, उस स्थान पर अभियुक्तों का विशेष कब्जा था और किसी तृतीय व्यक्ति के उस स्थान में प्रवेश की कोई संभावना नहीं थी, तो अपेक्षाकृत अधिक समयांतराल भी अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**16.** *अंतिम बार साथ देखे जाने* के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***सहदेवन उर्फ सगदेवन बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक, चेन्नई द्वारा प्रतिनिधित्व,*** **(2003) 1 SCC 534** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित कर दे कि लापता व्यक्ति को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और उसके पश्चात् वह फिर कभी नहीं देखा गया, तो अभियुक्त पर यह दायित्व आ जाता है कि वह उन परिस्थितियों की व्याख्या करे जिनमें लापता व्यक्ति और अभियुक्त का साथ छूटा।

उक्त निर्णय के कंडिका 19 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :-

**"19.** विचारण न्यायालयों द्वारा जिस अंतिम परिस्थिति का अवलंब लिया गया है, वह यह है कि विचारण के दौरान अपीलार्थीयों ने वडिवेलु से अलग होने के संबंध में क्या रुख अपनाया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन ने यह तथ्य स्थापित कर दिया है कि वडिवेलु को दिनांक 5.3.1985 की सुबह से लेकर उसी दिन कम-से-कम शाम 5.00 बजे तक अपीलार्थीयों के साथ देखा गया था, जब उसे उसके घर लाया गया, और उसके पश्चात् दिनांक 6.3.1985 की सुबह उसका शव पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीयों पर यह दायित्व आ गया कि वे न्यायालय को यह संतुष्ट करें कि वडिवेलु उनसे कैसे, कहाँ और किन

परिस्थितियों में अलग हुआ। यह उस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अंतिम बार पाया जाता है और बाद में वह लापता हो जाता है, तो जिस व्यक्ति के साथ उसे अंतिम बार देखा गया था, उस पर यह दायित्व होता है कि वह उन परिस्थितियों की व्याख्या करे जिनमें वे एक-दूसरे से अलग हुए। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए उनके कथनों में उन्होंने इस संबंध में कोई विशिष्ट रुख नहीं अपनाया है। अ.सा.-25 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 5.3.1985 की दोपहर जब वडिवेलु को उक्त साक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो परीक्षण के पश्चात् उसे जाने की अनुमति दे दी गई थी, किंतु उसके साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि उसने क-1 को वडिवेलु पर निगरानी रखने का निर्देश दिया था। ऐसी परिस्थितियों में क-1 पर यह दायित्व था कि वह न्यायालय को यह स्पष्ट करे कि किन परिस्थितियों में उनका वडिवेलु से साथ छूटा, किंतु उसने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके विपरीत, अभियोजन ने यह तथ्य सिद्ध कर दिया है कि उसी दिन लगभग शाम 5.00 बजे वडिवेलु को अपीलार्थीयों द्वारा अ.सा.-1 के घर लाया गया था, जिसे अ.सा.-5 ने देखा। अ.सा.-5 के इस साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है, अतः हमें यह मानकर चलना होगा कि इस संबंध में अ.सा.-5 का कथन सत्य है। यदि ऐसा है, तो अभियोजन ने यह स्थापित कर दिया है कि दिनांक 5.3.1985 को शाम 5.00 बजे तक वडिवेलु अभी भी अपीलार्थीयों के साथ था और इसलिए, इस संबंध में अपीलार्थीयों द्वारा किसी विशिष्ट स्पष्टीकरण के अभाव में, तथा अभियोजन द्वारा सिद्ध की गई अन्य आपराधिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वडिवेलु के लापता होने में अपीलार्थीयों की भूमिका के संबंध में उनके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जाना आवश्यक है। इस चरण पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि अपीलार्थीयों ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए अपने कथनों में वडिवेलु से अलग होने के संबंध में कोई विशिष्ट रुख नहीं अपनाया, तथापि अ.सा.-1 एवं अ.सा.-5 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि क-1 ने दिनांक 5.3.1985 और 6.3.1985 की मध्यवर्ती रात्रि में उक्त साक्षियों से यह कहा था कि वडिवेलु पुलिस थाना की बरामदे में सोने की अनुमति दिए जाने के दौरान वहाँ से भाग गया था। क-1 द्वारा अ.सा.-1 को दिया गया यह स्पष्टीकरण, जिसे अ.सा.-5 एवं अ.सा.-14 ने भी सुना था, स्पष्ट रूप से असत्य सिद्ध होता है और यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीयों द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाने के लिए यह बहाना बनाया गया था। अतः क-1 द्वारा अ.सा.-1 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समक्ष झूठा कथन देना भी अपीलार्थीयों के विरुद्ध एक परिस्थिति के रूप में लिया जा सकता है, जिससे उनके दोष की पुष्टि होती है। इस न्यायालय ने एक से अधिक मामलों में यह निर्णय दिया है कि यदि अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित कर देता है कि लापता व्यक्ति को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और उसके बाद वह कभी नहीं देखा गया, तो अभियुक्त पर यह दायित्व होता है कि वह उन परिस्थितियों की व्याख्या करे जिनमें लापता व्यक्ति और अभियुक्त का साथ छूटा। ***जोसेफ बनाम केरल राज्य*** **(2000) 5 SCC 197** देखें। अतः हम विचारण न्यायालयों के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि परिस्थिति क्रमांक 7 भी अपीलार्थीयों के विरुद्ध स्थापित होती है।

**17.** वर्तमान प्रकरण में मर्ग सूचना प्रदर्श पी./6 एवं पी./7 से यह प्रकट होता है कि दोनों शव दिनांक 22.12.2001 को ग्राम टारदा स्थित बहलाडीपा नाला के पास पाए गए थे। रुखनिबाई (अ.सा.-1) एक साधारण ग्रामीण महिला है, जिसने अपने कथन में केवल दिन (मंगलवार) का उल्लेख किया है, जिस दिन अपीलार्थी मृतकों को अपने साथ ले गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसका कथन दिनांक 27.12.2001 को दर्ज किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 18.12.2001 को अपीलार्थी अपनी पत्नी एवं पुत्र को अपने साथ ले गया था। यही तथ्य भगवाना (अ.सा.-2) के धारा 161 के अंतर्गत दर्ज कथन प्रदर्श पी./2 में भी परिलक्षित होता है। सहोद्रा (अ.सा.-3) के पुलिस कथन से भी यह प्रकट होता है कि दिनांक 19.12.2001 को अपीलार्थी अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ उसके घर आया था और भोजन करने के पश्चात् अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ अपने ग्राम टेटला के लिए चला गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 18.12.2001 को रुखनिबाई (अ.सा.-1) के घर से अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ निकला था और अंततः दिनांक 19.12.2001 को लगभग अपराह्न 3.00 बजे सहोद्रा (अ.सा.-3) के घर से दोनों मृतकों के साथ चला गया था, तथा अगले दिन कजली एवं कान्हू के शव बहलाडीपा नाला के पास पाए गए। अपीलार्थी कजली का पति तथा कान्हू का पिता था और वही अंतिम व्यक्ति था, जो सहोद्रा (अ.सा.-3) के घर से अपनी पत्नी एवं पुत्र को अपने साथ ले गया था। सहोद्रा के घर से निकलते समय कजली ने उससे दो झाड़ू मांगे थे, जो उसने प्रदान किए और कजली उन्हें अपने साथ ले गई, जिनकी जब्ती प्रदर्श पी./12 के अंतर्गत की गई है। घटनास्थल से, जहाँ कजली का शव पड़ा हुआ था, रक्तरंजित मिट्टी, सादी मिट्टी, दो झाड़ू तथा टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों की जब्ती से यह तथ्य उजागर होता है कि दो झाड़ू मृतका कजली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के साथ ही पाए गए थे। इससे यह संकेत मिलता है कि ग्राम चपोरा से अपने ग्राम टेटला जाते समय, अपीलार्थी के घर पहुँचने से पूर्व ही, कजली एवं कान्हू की हत्या कर दी गई थी।

**18.** वर्तमान मामले में मृतकों के शवों की बरामदगी और "अंतिम बार साथ देखे जाने" की घटना के बीच का समयांतराल अत्यंत कम नहीं है, किंतु इस मामले में अपीलार्थी कोई अपरिचित व्यक्ति या मित्र नहीं था, बल्कि वह कजली का पति तथा मात्र तीन माह के छोटे शिशु कान्हू का पिता था।

**19.** अपीलार्थी पर अपनी पत्नी तथा मात्र तीन माह के छोटे शिशु की देखभाल का विशेष दायित्व था और वह अपनी पत्नी एवं पुत्र को सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँचाने के लिए बाध्य था, किंतु यात्रा के दौरान अपीलार्थी की पत्नी एवं पुत्र की मृत्यु सदोष मानव वध के परिणामस्वरूप हो गई। वर्तमान अपीलार्थी ने न तो इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही यह कोई स्पष्टीकरण दिया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। *सहदेवन* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, वर्तमान अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि वह अपनी पत्नी एवं मात्र तीन माह के शिशु से किन परिस्थितियों में अलग हुआ। बचाव पक्ष ने रुखनिबाई (अ.सा.-1) से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया और यह सुझाव देने का प्रयास किया कि कजली गर्भवती किसी अन्य व्यक्ति सहन सौरा से हुई थी, जिससे कजली के चरित्र पर संदेह उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। यह परिस्थिति अपराध कारित करने के उद्देश्य की ओर संकेत करती प्रतीत होती है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन ने निम्नलिखित परिस्थितियों को सिद्ध किया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. अपीलार्थी अपनी सास के घर से अपनी पत्नी एवं पुत्र को अपने साथ लेकर अपने ग्राम टेटला के लिए रवाना हुआ।

ii. अगले दिन वह अपनी पत्नी कजली एवं पुत्र कान्हू के साथ ग्राम चपोरा स्थित सहोद्रा के घर गया।

iii. मृतका कजली और पुत्र कान्हू को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ दिनांक 19.12.2001 को लगभग 3.00 बजे देखा गया।

iv. मृतका कजली ने सहोद्रा से 2 झाड़ू मांगे, जो यात्रा के दौरान उसके पास थीं।

v. अपीलार्थी, उसकी पत्नी और पुत्र अपने घर ग्राम टेटला नहीं पहुंचे।

vi. दिनांक 19.12.2001 के बाद अपीलार्थी ने अपनी पत्नी और पुत्र के लापता होने की कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई।

vii. दिनांक 20.12.2001 को कजली और उसके पुत्र कान्हू का शव बहलाडीपा नाला के पास घायल अवस्था में पाया गया।

viii. कजली और कान्हू की मृत्यु मानववध थी।

ix. अपीलार्थी ने यह कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने अपनी पत्नी और पुत्र से किन परिस्थितियों में अलग किया।

x. अपीलार्थी पर अपनी पत्नी और पुत्र को सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँचाने का दायित्व था, परन्तु उसने उन्हें अपने घर सुरक्षित रूप से नहीं पहुँचाया।

xi. अपीलार्थी अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह में था।

यदि इन परिस्थितियों को एक साथ देखा जाए, तो केवल अपीलार्थी के दोष का अनुमान ही संभव है और अपीलार्थी के दोष के अतिरिक्त कोई अन्य संभावना या अन्य व्यक्ति का दोष, जिसमें अपीलार्थी की निर्दोषता शामिल हो, संभव नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**20.** अपीलार्थी ने प्रेमानंद (ब.सा.-1) का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसने यह कथन दिया कि वह और अपीलार्थी काम के लिए जम्मू-कश्मीर गए थे और लगभग तीन माह बाद वापस आए। जब वे जम्मू-कश्मीर से रायगढ़ लौट रहे थे, तो अपीलार्थी को रायपुर पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कब अपीलार्थी के साथ जम्मू-कश्मीर गए और कब लौटे। इस साक्षी का साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वह किसी मुख्य तथ्य का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है।

**21.** अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करने के पश्चात्, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया। अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जो अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

**22.** साक्ष्यों की गहन समीक्षा पर हम दोषसिद्धि और अपीलार्थी को दिए गए दंड में किसी भी प्रकार की अवैधता या अनियमितता नहीं पाते। अतः, अपील सारहीन है, तदनुसार उसे खारिज किया जाता है।

सही/-

**टी.पी. शर्मा**

**न्यायाधीश**

सही/-

**आर.एल. झंवर**

**न्यायाधीश**

**Disclaimer**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur